

राजस्थान सरकार

क्रमांक: F 2(2) RELIEF/FLOOD/2022-23/104

दिनांक: 28/04/2023

तहसीलदार की अभिशंषा सहित प्राप्त निम्न बाढ़ के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार बाढ़से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है :-

योग

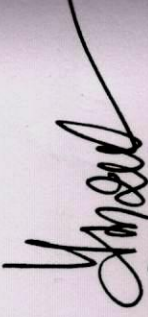
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-113-(09)-[07]-12

प्रतिलिपि -निम्नान्वितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, बांसवाड़ा।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा


जिला कलेक्टर
(आ.प्र. एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
बांसवाड़ा


प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र. एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
बांसवाड़ा